अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

परिवाद पत्र संख्या–145/2013
टी0 आर0 न0ः–777/2019

CIS NO- 345/2016

आदेश

29.11.2019 परिवादिनी एवं अभियुक्त सुधीर कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया है जबकि अन्य अभियुक्तगण की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया है । परिवादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–19.07.2019 एवं बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल प्रत्युतर दिनांक–15.11.2019 पर अभिलेख्रा आदेश हेतु नियत है । अभिलेख्रा आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

परिवादिनी की ओर से उपरोक्त दाखिल आवेदन दिनांक–19.07.2019 में कहा गया है कि अभियुक्त सुधीर कुमार अभियोगिनी के पति है और इस न्यायालय के समक्ष कहते रहे है कि वह अभी तक दूसरी शादी नही किया है तथा वह अपनी पत्नी को रखेगा जबकि अभियुक्त सुधीर कुमार ने नितु कुमारी पिता परशुराम महतो, ग्राम कटेशर, जिला अरवल से शादी कर लिया है तथा दूसरी पत्नी से उसे एक लड.का और एक लड.की है । परिवादिनी एवं उसके पति सुधीर कुमार से एक बच्ची भी है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि स्थानीय थाना से जाँच करवाकर उचित और आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा किया जाय ।

बचाव पक्ष की ओर से दाखिल प्रत्युतर में कहा गया है कि परिवादिनी का आवेदन अपोषणीय है । अभियुक्त सुधीर कुमार के द्वारा अन्य किसी भी महिला से दूसरी शादी नही किया गया है तथा आवेदन में जिस महिला नितु कुमारी का जिक्र है, उसे वह जानता भी नही है और न उससे जन्में बच्चे की जानकारी ही है । अतः परिवादिनी के द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया जाय ।

परिवादिनी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना जा चुका है । अभिलेख्रा का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त अभिलेख्रा बहस हेतु नियत है । बचाव पक्ष की ओर से, परिवादिनी के द्वारा लगाये गये आरोप से पूर्णतः इंकार किया गया है तथा परिवादिनी की ओर से लगाये गये आरोप के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है । परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में अभियुक्त सुधीर की दूसरी शादी की बात नही बताई है । परिवादिनी ने अपने साक्ष्य के दौरान भी अभियुक्त की दूसरी शादी के बारें में नही बताया है । अभिलेख्रा बहस हेतु नियत है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिवादिनी की ओर से दाखिल आवेदन में बल नही पाते हुए, उसे खारिज किया जाता है । दिनांकः–03.03.2020 वास्ते अभिलेख्रा बहस हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।